झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची

जानिए

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

बाल विवाह की परिभाषा

- ''बाल विवाह'' ऐसा विवाह है जिसमें दोनों पक्ष- यानि दूल्हा (लड़का) या दुल्हन (लड़की) में से कोई एक या दोनों बालक हो। [Sec-2 (ख)]

बालक की परिभाषा

- इस अधिनियम के अनुसार ऐसा पुरूष जो 21 वर्ष पूरी नहीं की तथा महिला जो 18 वर्ष पूरी नहीं की वो बालक कहलाएगा।

बाल विवाह का मतलब

- दुल्हन 18 वर्ष से कम परन्तु दूल्हा 21 वर्ष से अधिक हो,
- या दुल्हन 18 वर्ष से अधिक परन्तु दूल्हा 21 वर्ष से कम हो,
- या दुल्हन 18 वर्ष से कम एवं दूल्हा भी 21 वर्ष से कम हो

बाल विवाह से संबंधित दंड

- यदि कोई अठारह वर्ष से अधिक वर्ष का पुरूष अगर बाल विवाह करेगा तो उसे दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख रूपए तक का जुर्माना होगा [Sec-9]
- यदि कोई बाल विवाह का अनुष्ठान का संपन करेगा या संचालिक करेगा या निदिष्ट करेगा या दुस्प्रेषित करेगा - दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख रूपए तक का जुर्माना होगा। [Sec-10]

बाल विवाह कराने का दंड

- बाल विवाह कराने वाले माता-पिता या गार्डियन या संस्था या ऐसे व्यक्ति जो उस अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे - दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख रूपए तक का जुर्माना होगा। [Sec-11]
- इस अधिनियम के अनुसार दण्डनीय अपराध संज्ञेय (cognizable) अजमानतीय (Non-Bailable) होगा [Sec-15]
- महिला को केवल जुर्माना लगेगा, उसे जेल नहीं भेजा जाएगा।

बाल विवाह का शून्य होना

- कुछ परिस्थितियों में जहाँ बाल हो विवाह के प्रयोजन के लिए (क) अभिभावाक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या फुसलाया जाता है, या (ख) किसी स्थान से बलपूर्वक या लालच या धोखाधड़ी के द्वारा; या (ग) विवाह के लिए बेचा जाता है, या विवाह के उपरांत बेच दिया जाता है या किसी गलत प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, इस स्थिति में बाल विवाह शून्य समझा जाऐगा।

बाल विवाह के विरूद्ध न्यायालय की शक्ति

- बाल विवाह की सूचना होने पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विवाह रोकने या प्रतिषेध के लिए आदेश (व्यादेश-injuction order to be void) दिया जा सकता है। [Sec-13(1)]
- बाल विवाह का तय होना या अनुष्ठान किया जाने की जानकारी CMPO या किसी व्यक्ति या किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया जा सकता है। [Sec-13 (2)]
- प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान कर सकती है [Sec-13 (3)]

- व्यादेश निकले जाने के पहले व्यक्ति या संगठन या व्यक्ति संगम को नोटिस दे कर व्यादेश न निकलने के लिए मौका दिया जायेगा, परन्तु किसी अति आवश्यकता की स्थिति में अंतरिम व्यादेश (interim injuction) दिया जा सकता है। [Sec-13 (6)]
- व्यादेश निकले जारी होने के बावजूद अगर कोई बाल विवाह करवाता है तो उसे दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकेगा [Sec-13 (10)]
- व्यादेश जारी होने के बावजूद जो बाल विवाह होगा वो प्रारम्भ से ही शून्य (void ab initio) होगा। [Sec-14]

शिकायत की प्रक्रिया

- बाल विवाह से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा CMPO या थाना या ग्राम के मुखिया को मौखिक, लिखित या डाक या ईमेल से दी जा सकती है। [Rule 4 (i)]
- CMPO से भिन्न अधिकारी विवाह के अनुष्ठान की संभावना की सूचना प्राप्त करने पर ऐसी अपनी रिपोर्ट के साथ CMPO को देंगे [Rule 4 (ii)]
- सूचना प्राप्ति के बाद अगर CMPO के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर उसे उतरदायी ठहराया जायेगा एवं उनके विरूद्ध कम से कम रू0 5000 जुर्माना या विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।
- अच्छा कार्य करने वाले CMPO को पुरस्कार स्वरूप कम से 5000 तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जा सकेगा। [Rule 4 (ii-क)]

- CMPO द्वारा बाल विवाह की घटना पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु अधिकतम 30 दिनों के अन्दर रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। [Rule 4 (ii-ख)]
- बाल विवाह से संबंधित सूचना पर CMPO फारम 1 में बाल विवाह घटना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी प्रतियों संबंधित थाना के प्रभारी पुलिस को भी देगा। [Rule 4 (iv)]
- CMPO क्षेत्र (area) के नाम पे इंकार नहीं कर सकेगा तथा तुरंत संबंधित क्षेत्र के CMPO को सूचित करेगा। [Rule 4 (vi)]
- CMPO बाल विवाह घटना रिपोर्ट की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को मुफ्त में प्रदान करेगी। [Rule 4 (vii)]

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी

- झारखण्ड सरकार (समाज कल्याण विभाग) के अधिसूचना (संख्या-03/स0 क0 - 76/2002 - 842, दिनांक - 11 जून 2007) के अनुसार प्रत्येक प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी CMPO के द्वारा किया जा सकेगा।
- बाल विवाह की शून्यकरण अर्थात अमान्य करने के लिए अर्जी CMPO के द्वारा किया जा सकेगा।
- कर्तव्य का दायित्व [Rule 5]
- बाल विवाह को रोकना
- इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध साक्ष्य एकत्रित करना
- जागरूकता एवं संवेदनशीलता
- राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकार के द्वारा विधिक सेवा प्रदान करवाना
- राज्य सरकार को समय समय पर प्रतिवेदन तथा आंकड़ों को जमा करना
- राज्य सरकार द्वारा समय पर प्रदत कार्यों एवं कर्तव्यों का निष्पादन करना।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियाँ

- CMPO दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जाँच करने तथा सक्षम दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सशक्त होगा [Rule 6 (i)]
- बाल विवाह से संबंधित सूचना पर किसी परिसर की तलाशी बिना वारंट के करने के लिए जिला दंडाधिकारी से मेल या sms, लिखित में सहमती लेकर तलाशी कर सकेगा। [Rule 6 (ii-क)]
- भारतीय दण्ड संहिता; 1860 की धारा 21 के अर्थों के भीतर प्रत्येक CMPO लोक सेवक होंगे। [Rule 7]

सामूहिक बाल विवाह

- सामूहिक बाल विवाह को रोकने या अनुष्ठान का निवारण के लिए CMPO की सभी शक्तियाँ (DC) को प्राप्त होगा तथा वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझे जायेगें। [Sec-13 (4)]
- जिला पदाधिकारी (DC) को अतिरिक्त शक्तियाँ भी होगी तथा वो पुलिस बल प्रयोग कर सकेंगे। [Sec-13 (5)]
- सामूहिक बाल विवाह को रोकने या प्रतिषेध करने के लिए जिला पदाधिकारी (DC) किसी थाना को आदेश दे सकते हैं की वो वैसे धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी रखे तथा उचित कारवाई करे [Rule 4 (iii)]

बाल कल्याण समिति के कर्तव्य

- CMPO बाल विवाह से संबंधित मामलों को 'देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक (CNCP)'' की दृष्टि से देखे तथा बालक की सर्वोत्तम हित का ध्यान रखें।
- बाल विवाह से बचाए गए बच्चे की समुचित पुनर्वास को सुनिश्चित करे।
- अगर कोई बाल विवाह होने की सूचना मिले तो CWC उस एरिया के CMPO को दिशा निर्देश दे ताकि विवाह को रोका जा सके।
- CWC प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ भी अर्जी कर के बाल विवाह रूकवाने प्रयास कर सकती है।
- अगर बाल विवाह हो चुका है तो CWC Sec. 49, jj Act 2000 के तहत उम्र निर्धारण (age verification) का आदेश दे सकता है।

जिला बाल संरक्षण ईकाई DCPS के कर्तव्य

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं झारखण्ड बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली-2015 का जिलों में प्रभावी कार्यान्वयन।
- बाल विवाह कुरीति पर समाज एवं किशोरों में जागरूकता एवं संवेदनशीलता लाना।
- बाल विवाह से संबंधित सूचना पर त्वरित कार्य करने के लिए CMPO, CWC Police, NGOs आदि से समन्वय स्थापित करना।
- जिला स्तर पर अन्य विभाग एवं छळ्ठे आदि के साथ नेटवर्क एवं समन्वय स्थापित करते हुए बाल संरक्षण पर अंतर विभागीय समिति बनाना।
- बाल विवाह से बचाए गए या पीड़ित बालक/बालिका के पुनर्वास के लिए समुचित उपाय करना।
- विषम परिस्थिति में रहने वाले परिवार एवं बच्चों को चिन्हित करना तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़वाने का प्रयास करना।

पंचायत सदस्यों का कर्तव्य

- इस अधिनियम के धारा 16 (2) के अंतर्गत पंचायत सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि वो बाल विवाह को रोकने में CMPO की मदद करे।
- CMPO/पुलिस को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करना ताकि इस अधिनियम को लागू किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कोई पंचायत सदस्य बाल विवाह को बढ़ावा न दे।
- ग्राम सभा में बाल विवाह कुरीति, जेन्डर समानता एवं बच्चों की शिक्षा की महत्वपूर्णता पर बात करना।
- बाल विवाह कुरीति पर समाज एवं किशोरों में जागरूकता एवं संवेदनशीलता लाना।
- विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के नामांकन तथा ठहराव पर जोर देना।
- गाँवों में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन एवं क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना।
- ग्राम स्तर पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण, विवाह पंजीकरण एवं अन्य सरकारी योजनाओं पर ध्यान देना।
- किशोर-किशोरियों के सशक्तिकरण पर कार्य करना ताकि वो अपने जीवन का सही निर्णय ले सके।

शिक्षकों का कर्तव्य

- इस अधिनियम के धारा 16 (2) के अंतर्गत शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है की वो बाल विवाह को रोकने में CMPO की मदद करे।
- किसी बच्चे का विवाह होने वाली या हो चुके का सूचना मिले तो त्वरित कार्यवाही के लिए तुरंत CMPO/ पुलिस DCPS या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ शिकायत करना।
- विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति एवं ऐसे बच्चों को चिन्हित करना जिनकी बाल विवाह की संभावना अधिक हो, पर नजर रखना।
- ऐसे बच्चे जिनकी उपस्थिति काफी कम हो तो उनके घर पर जाना एवं परिस्थिति का पता करना और उनके माता पिता से बात कर के बाल विवाह की कुरीति एवं शिक्षा की महतापूर्णता पर जोर डालना।
- विद्यालय में बच्चों को भी बाल विवाह कुरीति, जेन्डर समानता एवं उनके अधिकार पर शिक्षित करना।
- विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) एवं बाल संसद की बैठक में बाल विवाह मुद्दे पर बात करना।

महत्वपूर्ण तथ्य :-

- यह जानकारी केवल जनजागरूकता के लिए दी जा रही है तथा कोई भी दावा प्रस्तुत करने से पूर्व मूल योजना द्रष्टव्य है।

सूचना एवं सहायता के लिए कहाँ संपर्क करें :-

- सभी तरह की जानकारी तथा मदद के लिए (मदद के तहत विहित प्रपत्र उपलब्ध करना, उसे भरने में मदद करना तथा उसे सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत करना शामिल है।) निकटतम अनुमंडल विधिक सेवा समिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष / सचिव का मोबाइल नं० तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव का मोबाइल नं० झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार के वेबसाइट www.jhalsa.org पर उपलब्ध है।
- हर तरह के सहायता के लिए कृपया सदस्य सचिव (मोबाइल - 08986601912) अथवा उपसचिव (मोबाइल - 09431387340), झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करें। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राँची का विस्तृत विवरण यह है :

पता-न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), महालेखाकार कार्यालय के समीप, डोरण्डा, राँची-834002, फैक्स-0651-2482397, टेलीफोन - 0651-2482392, 2482030, 2481520, ई-मेल- jhalsaranchi@gmail.com

यह पाठ्य सामग्री झालसा के वेबसाइट ***(www.jhalsa.org)*** पर भी उपलब्ध है।

❑❑❑

प्रकाशन वर्ष : 2016